



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन 1941 (श०)
(सं० पटना 1157) पटना, सोमवार, 14 अक्टूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 389, दिनांक 14 अक्टूबर 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 357, दिनांक 05 सितम्बर, 2019, जिसे बिहार गजट, असाधारण अंक, संख्या 1046, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में -

(क) खंड (ii) में "20 सितम्बर" अंकों और शब्द के स्थान पर "11 अक्टूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(v) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो देय तारीख तक उक्त प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियमावली" कहा गया है) के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदाय के ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, 11 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vi) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त प्ररूप जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमावली के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(vii) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, से उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जो देय तारीख तक उक्त प्ररूप जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमावली के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 10 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(viii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ix) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जो देय तारीख तक उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, और जिन्होंने मास अगस्त, 2019 के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से 20 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० बि० क्रि-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3045)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 389, दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बि० क्रि-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3045)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th October 2019

S.O. 389, Dated 14th October 2019— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 357, dated the 05th September, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1046, dated the 05th September, 2019, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph—

- (a) in clause (ii), for the figures, letters and word “20th September”, the figures, letters and word “11th October” shall be inserted;
- (b) after the clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely: —

“(v) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the month of August, 2019, on or before the 11th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-1** by the due date;

(vi) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, who have furnished electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-7** of the said rules under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the said rules, for the month of July, 2019, on or before the 10th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-7** by the due date;

(vii) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, who have furnished electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-7** of the said rules under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the said rules, for the month of August, 2019, on or before the 10th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-7** by the due date;

(viii) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-3B** of the said rules, for the month of July, 2019, on or before the 20th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-3B** by the due date;

(ix) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-3B** of the said rules, for the month of August, 2019, on or before the 20th October, 2019, for failure to furnish the said **FORM GSTR-3B** by the due date.”.

2. This notification shall come into force with effect from 9th October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 3045)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1157-571+10 -डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>